U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % MkW0 lfer 'kekZ] vkbZ-,-,l

foHkkxh; vihy la[;k 07@2019

vihykUV	बनाम	jLikWMsUV
विशनाराम, वरिष्ठ लिपिक, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, बालोतरा, बाडमेर		जिला कलेक्टर, बाडमेर।

विभागीय अपील अन्तर्गत नियम 23 राजस्थान असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियम एवं अपील) नियम 1958 आदेश विरूद्ध जिला कलेक्टर, बाडमेर क्रमांक प. 1(199) (1) कार्मिक/2015/4074 दिनांक 21.06.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।

mifLFkfr%&&

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. विभागीय पैरोकार तहसीलदार, उपस्थित उपस्थित नहीं हुए।

fu.kZ;

दिनांकः अक्टूबर, 2020

1. अपीलान्ट कार्मिक के द्वारा यह विभागीय अपील जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश दिनांक 21.06.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट की दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिये जाने पर, उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष राज0 असैनिक सेवाये नियम 1958, के नियम 23 के तहत दिनांक 04.12.2018 को प्रस्तुत की गई है।
2. प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला कलेक्टर, बाडमेर से अपील पर उनकी बिन्दूवार टिप्पणी एवं अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित मूल अभिलेख पत्रावली को तलब किया गया।
3. मूल अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुए अपीलान्ट को दिनांक 05.10.2020 को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। अपीलान्ट ने दौरान सुनवाई अपील के सम्बन्ध में यह कथन किया कि अपीलान्ट एवं अन्य कार्मिक श्री राणाराम तत0 वरिष्ठ लिपिक तहसील कार्यालय पचपदरा के

विरूद्ध श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के पत्र दिनांक 17.01.2014 के द्वारा उन पर कुल 06 आरोप आरोपित किये गये थे

1. राज्य सरकार द्वारा पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा 5 में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 26.03.2012 जारी कर राज्य में पंजीयन जिले एवं उप जिलों की सीमाओं का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 5 उप बिन्दू संख्या 11 में जसोल पंजीयन उप जिले की सीमा का निर्धारण उप तहसील जसोल के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र के अनुसार है। राज्य सरकार ने दिनांक 26.3.2012 से जिले में एनिवेयन पंजीयन पद्धति को समाप्त कर दिया था। क्षेत्राधिकार से बाहर के राजस्व ग्राम जो राजस्व विभाग की अधिसूचना के अनुसार तहसील पचपदरा के क्षेत्राधिकार में है, उन गांवों के 04 दस्तावेजों को भी पंजीबद्ध किया गया, जो राज्य अधिसूचना के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जिसके लिये आप आरोपित है।
2. विभागीय पंजीयन मार्गदर्शिका 2009 के परिपत्र संख्या 11/2009 में उल्लेखित पंजीयन प्रक्रिया की 8 चरणीय प्रणाली की पालना के सम्बन्ध में आप द्वारा राज0 मुद्रांक नियम 2004 के नियम 57 के तहत भूमि एवं भवन के दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में चैकलिस्ट दस्तावेज के साथ लिये जाने का प्रावधान है। जॉच में चैकलिस्ट अपूर्ण पाई गई व विभागीय परिपत्र संख्या 11/09 की पालना आप द्वारा सुनिश्चित नहीं की गई, जिसके लिये आरोपित है।
3. आलौच्य अवधि दिनांक 1.4.2013 से 10.7.13 की अवधि में 25 लाख रूपये से अधिक मालियत के 19 दस्तावेज पंजीबद्ध किये गये। जॉच में 2 दस्तावेजों में कम मूल्याकंन से 34,105/- रूपये की राजस्व हानि पाई गई। जिसके लिये आप आरोपित है।
4. उक्त अवधि में 05 दस्तावेजों की मूल्याकंन रिपोर्ट के संलग्न राजस्व नक्शें की छायाप्रति के आधार पर बिकित भूमि

ग्रामीण/अन्य सडक पर होना पाई। किन्तु आप द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए दस्तावेजों को सडक से दूर मानकर मूल्यांकन किये जाने से राशि रूपये 1,80,505/– की राजस्व अपवंचना पाई गई जिसके लिये आप आरोपित हैं

5. 25 लाख रूपये से कम मालियत के दस्तावेज के सम्बन्ध में रेण्डम मौका निरीक्षण जॉच की अवधि 1.4.13 से 10.7.13 की अवधि के दस्तावेजों की सूची उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसके लिये आप आरोपित है।

6. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.7.12 के अनुसार जिन गांवों की औधोगिक दरें निर्धारित नहीं है उन गांवों में औधोगिक भूमि का विकास होने पर प्रश्नगत भूमि 05 किलोमीटर दायरे में रीकों की औधोगिक दर अथवा उस गांव की आवासीय दर से जो भी कम हो, से मूल्यांकन करने का प्रावधान है। ग्राम आंकडली बक्सीराम की औधोगिक दर निर्धारित नहीं होने पर उक्त अधिसूचना के प्रावधानानुसार मूल्यांकन नहीं करने से हुई राजस्व हानि रूपये 8,48,040/– के लिये आप आरोपित है।

4. उक्त आरोपों के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा विस्तृत विभागीय जॉच करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर को जॉच अधिकारी नियुक्त किया। जॉच अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बाडमेर के द्वारा जॉच कार्यवाही पूर्ण कर अपने जॉच प्रतिवेदन में आरोपित आरोप संख्या 2 व 5 सिद्ध नहीं होने, आरोप संख्या 1 व 4 में आंशिक सिद्ध होना तथा आरोप संख्या 3 व 6 पूर्ण रूप से सिद्ध होना बताया। तत्पश्चात जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम निष्कर्श निकालते हुए तथा जॉच रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए दिनांक 21.06.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए अपीलान्ट एवं अन्य कार्मिक श्री राणाराम, तत0 वरिष्ठ लिपिक, तहसील कार्यालय पचपदरा को उनकी दो वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

5. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट को सीसीए नियम 16 के तहत यह चार्जशीट दी गई थी कि दिनांक 1.4.13 से 10.7.13 की अवधि के दौरान अपने कर्तव्य निर्वहन में अनियमितता कारित है एवं दस्तावेजों का पंजीयन किया जो एनीवेयन के तहत नहीं कर सकते थे। इस सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अपना विस्तृत जवाब पेश कर निवेदन किया था कि जिन तारीखों में दस्तावेजों का पंजीयन किया है, उपरोक्त अवधि में अपीलान्ट अवकाश पर था क्योंकि दिनांक 21.6.13 को उसके सगे पुत्र जितेन्द्र की तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी, जिस कारण से वह दिनांक 21.6.13 से 28.6.13 तक आकस्मिक अवकाश पर था जिसका इन्द्राज उपस्थिति पंजीका में बखुबी दर्ज था। अपीलान्ट ने यह भी प्रकट किया था कि उप तहसीलदार जसोल के आदेश दिनांक 22.5.13 के अनुसार पंजीयन कार्यवाही का समस्त चार्ज श्री राणाराम वरिष्ठ लिपिक के पास था, जो भी आदेश की प्रति से साबित होता है एवं उल्लेखित चारों दस्तावेज का पंजीयन जिस समय किया गया उस समय उस पर रोकड की गणना व समस्त प्रकार का कार्य राणाराम वरिष्ठ लिपिक द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से दिनांक 1.4.13 से 10.7.13 तक पंजीयन कार्य का निर्वाह श्री राणाराम वरिष्ठ लिपिक द्वारा ही किया जा रहा था। इसलिये उस पर लगाये गये ये आरोप गलत हैं दस्तावेज संख्या 4664 दिनांक 27.5.13 व दस्तावेज संख्या 4285 दिनांक 9.5.13 की प्रस्तुति व निष्पादन की कार्यवाही जिस समय हुई, उस समय पंजीयन सम्बन्धी कार्य श्री राणाराम वरिष्ठ लिपिक के पास ही था व इस प्रकार से उपरोक्त पंजीयन की कार्यवाही में अपीलान्ट की कोई भूमिका नहीं है तथा दस्तावेज पंजीयन का आदेश सम्बन्धित उप पंजीयक द्वारा किये जाने पर ही पंजीयन की कार्यवाही की जाती है। पंजीयन रेकर्ड अनुसार दस्तावेज संख्या 5513, 5514, 5515, 5516, 5617, 5619 जिन तारीखों में पंजीकृत किये गये उस वक्त भी पंजीयन का समस्त चार्ज श्री राणाराम वरिष्ठ लिपिक के जिम्मे था एवं इन दस्तावेजों से जो भी राजस्व हानि हुई, उसके लिये अपीलान्ट कतई जिम्मेदार नहीं है। अपीलान्ट की पत्नी का देहान्त दिनांक 01.05.2013 को हो गया एवं उसके पश्चात दिनांक 21.6.13 को अपीलान्ट के पुत्र जितेन्द्रकुमार का देहान्त होने से अपीलान्ट असहाय हो गया है।

6. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त विभागीय कार्यवाही में उपखण्ड अधिकारी बाडमेर ने अपनी जॉच रिपोर्ट में यह प्रकट किया था कि राणाराम ने पंजीयन अधिकारी को इस बात से अवगत कराया था कि ऐनिवेयर की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है परन्तु फिर भी पंजीयन करने का निर्णय स्वयं उपपंजीयक द्वारा लिया गया था और राणाराम स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि पंजीयन के वक्त पंजीयन का चार्ज उसके जिम्मे था। इसके बावजूद भी अपीलान्ट को दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया है जो निरस्त करने योग्य है।

7. अपीलान्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलान्ट ने पूर्व में जिला कलेक्टर बाडमेर के आदेश को माननीय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर में चुनौती दी थी जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील पेश करने हेतु निर्देशित किया गया तत्पश्चात अपीलान्ट के द्वारा यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। अतः अपील अपीलान्ट को स्वीकार की जावे तथा श्रीमान जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट को दोषमुक्त किया जावें।

8. अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का अवलोकन किया जिसमें अपीलान्ट के विरूद्ध की विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को आरोपित आरोपों के सम्बन्ध में उचित माना है तथा अपील को आधारहीन एवं सारहीन होने से खारिज किये जाने का कथन किया है।

9. हमने अपीलान्ट ओर से प्रकट किये गये तथ्यों पर मनन किया तथा अपीलान्ट की अपील पर जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी का एवं आरोपित किये गये आरोप के सम्बन्ध में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि अपीलान्ट के द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत अपील में जो तथ्य दर्शाये गये है, वह समस्त तथ्य जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये हुए है और वहीं तथ्य जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये है जिन पर जॉच अधिकारी एवं अनुशासनात्मक अधिकारी विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा गौर करने एवं उनका विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश से दण्डित किया गया है।

10. इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत अपील में भी ऐसे कोई नये तथ्य अथवा साक्ष्य नहीं दर्शा पाया है जिससे अपीलान्ट की अपील को स्वीकार किये जाने हेतु उनके पक्ष को बल मिलता हो। जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा अपीलान्ट एवं अन्य सहकार्मिक श्री राणाराम वरिष्ठ लिपिक के विरूद्ध संयुक्त रूप से जॉच कार्यवाही सम्पादित होने से आरोपित आरोपों में दोनों कार्मिको की संयुक्त भूमिका मान कर जॉच कार्यवाही का निश्कर्ष निकालते हुए अपीलान्ट को दोषी मानकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जिससे यह न्यायालय सहमत है। ऐसे में उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गहनता से मनन करने एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के उपरान्त हमारे मत में अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील अपीलांट सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज की जाती है तथा विद्वान जिला कलेक्टर बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.06.2018 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.10.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 lfer 'kek½
fMohtuy dfe'uj
tk/kiqj